न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/280

चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानीलाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जी जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेमबाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओमप्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड।
15. जानकी लाल पुत्री बालाराम जाति धाकड।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रूपेश कुमार श्रृंगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज कुमार मंत्री, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 25.08.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादीगण के पूर्वज भुवाना आत्मज नाथू जी तथा प्रतिवादी क्रम 01 के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.01 हैक्टर चाह एवं खसरा नम्बर 3214 रकबा 4.55 हैक्टर भूमि स्थित है । भुवाना जी मृत्यु के बाद वादीगण वैध उत्तराधिकारी रहे हैं । आराजी प्रतिवादी क्रम 01 के साथ संयुक्त खाते में दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त भूमि में प्रतिवादी क्रम 01 का हिस्सा 1/2 तथा वादीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा 1/2 में से प्रत्येक वादी के हिस्से अनुसार उनका हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । भुवाना जी के पुत्र देवी लाल की मृत्यु वर्ष 1987 में हो चुकी है । मृतक देवीलाल के वारिसान वादीगण क्रम 02 से 6 पुत्र एवं पुत्रियॉ तथा देवीलाल के पुत्र प्रहलाद सिंह की मृत्यु वर्ष 2017 में हो जाने से उनके वैधानिक उत्तराधिकारी वादी क्रम 07 पुत्र एवं वादी क्रम 08 पत्नी हैं । भुवाना जी जब तक जीवित रहे उक्त आराजी के कृषि की व्यवस्था वे स्वयं वादी क्रम 01 के साथ मिलकर करते रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद वादी क्रम 1 एवं 4 दोनों संयुक्त रूप से करते रहे हैं । वादग्रस्त आराजी का भुवाना जी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ । वर्तमान में भी उक्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । भुवाना जी अपने जीवनकाल में झालावाड में जाकर निवास करने लगे और वही से उक्त भूमि की देखभाल करने आते थे । प्रतिवादी क्रम 01 वादग्रस्त आराजी का विभाजन नहीं करवाना चाहते और उक्त सम्पूर्ण भूमि को ताकत के बल पर खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादीगण को आवश्यक हो गया है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाएं और प्रतिवादी क्रम 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन में प्राप्त आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाकर पृथक –पृथक लगान कायम किया जावे । प्रतिवादी क्रम 01 जो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की 1/2 हिस्से की भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करने में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी क्रम 1 करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.03.2019 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के मध्य विभाजन किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी क्रम 01 ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री पारित की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई नोटिस सम्मन जारी नहीं किया है । वादग्रस्त आराजी पर वादीगण रेस्पोडेन्ट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । भुवाना जी कई वर्षों से तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड में निवास कर रहे हैं । भुवाना जी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

एवं प्राथमिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा उक्त वाद में अपीलाधीन निर्णय की पालना में विभाजन प्रस्ताव हेतु पटवार घर दिनांक 17.06.2019 को जरिये नोटिस बतलाने पर उक्त नोटिस अपीलान्ट की पत्नी को दिनांक 22.06.2019 को मिलने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा विभाजन के बाबत् एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था जिसमें एकपक्षीय रूप से डिक्री पारित की गई है । डिक्री अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई है । अपीलान्ट को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है । विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गयी है । वादीगण मृतक भुवाना के वारिस नहीं हैं । भुवाना की मृत्यु सन् 2007 में हुई और नामान्तरकरण सन् 2018 में खुलवाया गया है । वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । उनको वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया है । नोटिस विधि सम्मत तामील हुआ है । अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की आराजी है जिसमें एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रतिकूल नहीं माना जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया और प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया जिसमें एक प्रति उनके पुत्र को दिया जाना अंकित है । अपीलान्ट ने अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि उनको विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गई है और दूसरी वादीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नहीं है । जहॉ तक कब्जे का प्रश्न है संयुक्त खाते की आराजी में एक सहखातेदार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के प्रति प्रतिकूल नहीं होता है । अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि वादीगण भुवाना के वारिस नहीं है । पत्रावली पर जो नकल जमाबन्दी संलग्न है उसमें वादग्रस्त आराजी प्रदर्श– 5 के अनुसार भुवाना पुत्र नाथू व चुन्नी लाल पुत्र हीरा के संयुक्त खाते में दर्ज है । प्रदर्श – 1 के अनुसार यह आराजी वादीगण और प्रतिवादी के संयुक्त खाते में दर्ज है । जहॉ तक वादीगण के भुवाना के वारिस नहीं होने का प्रश्न है इसके बाबत् अपीलान्ट को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है । साथ ही अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि वादीगण भुवाना के वारिस नहीं हैं । यदि तर्क के लिए अपीलान्ट के इस कथन को सही भी मान लिया जावे तो उस स्थिति में भुवाना की आराजी को प्राप्त करने का अधिकार अपीलान्ट को किस तरह होगा उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । नोटिस की तामील अपीलान्ट के पुत्र को करवायी गई है । अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह कथन नहीं किया है कि उनके पुत्र उनके साथ नहीं रहते हैं। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25.8.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/280

चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानीलाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जी जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेमबाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओमप्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड।
15. जानकी लाल पुत्री बालाराम जाति धाकड।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
18. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

वाद संख्याः 97/दावा/2018

1. रामनारायण आत्मज भवानी उर्फ भवानीलाल जाति धाकड ।
2. कमल कुमार आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
3. फूलचन्द आत्मज देवीलाल जाति धाकड ।
4. कैलाश आत्मज देवीलाल जी जाति धाकड ।
5. झमकू बाई पुत्री देवीलाल जाति धाकड ।
6. श्रीमती प्रयाग बाई पत्नी देवीलाल जाति धाकड ।
7. भैरूसिंह आत्मज प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
8. इन्द्रा बाई पत्नी प्रहलाद सिंह जाति धाकड ।
9. प्रेमबाई पुत्री भवाना जाति धाकड निवासीगण उदपुरिया हाल निवासी तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड ।
10. पाना बाई पुत्री भवाना जाति धाकड ।
11. हेमराज आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
12. ओमप्रकाश आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
13. दयाराम आत्मज बालाराम जाति धाकड ।
14. रूपलाल आत्मज बालाराम जाति धाकड।
15. जानकी लाल पुत्री बालाराम जाति धाकड।
16. निर्मला बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड ।
17. भगवती बाई पुत्री बालाराम जाति धाकड निवासीगण हनोतिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. चुन्नी लाल आत्मज स्व0 हीरालाल जाति धाकड निवासी ग्राम उदयपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

यह अपील तारीख 25.08.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रूपेश कुमार श्रृंगी अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री मनोज कुमार मंत्री के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.03.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 25.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

25.08.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा